न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

तारीखरजू:—18.10.2022

न0 133/2022

उनवान:— जल्लो देवी वगै0 बनाम रूडी बाई वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम
2022	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री राजकुमार राजावत एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रश्नगत भूमि मे प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम करीरी की विवादग्रस्त आराजी हाल ख0न0 857/0.24 है0 पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.11.2022 तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ—साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वत: निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 09.11.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली
9/11/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी न0 1 लगा0 4 के नोटिस तामील होकर प्राप्त नही हुए है वास्ते इन्तजार तलबी दिनांक 12.12.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

5238-41
18.10.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:05:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला–करौली

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील कोई उपस्थित नहीं। बार 2 आवाज दिलाई गई। इसके उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी की अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:05:17 IST
Reason: SelfAttested